

12.11.24

पत्रावली पेश हुई। वकील वादी दाखिल नहीं
होया वादी भी अनुपस्थित। वकील वादी एवं
वादी को रक-रक कर आपाजे बगल जमी
दाखिल नहीं है। विद्यालय वादी वकील वादी
की उदम दाखिल उदम पंजी भी खारिज
नियम जाता है। पत्रावली फौजदारी में शीघ्र
होकर वाखिल फतर हो।



सुसखण्ड अधिकारी
श्री विजयनगर

